अंतरा-शब्दशक्ति

राष्ट्रभाषा और समाज



जयति जैन ''नूतन''

राष्ट्रभाषा और समाज

जयति जैन "नूतन"

(युवा लेखिका व सामाजिक चिंतक)

अन्तरा शब्दशक्ति प्रकाशन

इंदौर,मध्यप्रदेश

ISBN- 978-93-88102-73-5

अन्तरा शब्दशक्ति प्रकाशन

कार्यालय: १५ नेहरु चौक वारासिवनी,जिला बालाघाट (म.प्र) ४८१३३१

शाखा: एस-२०७, नवीन भवन, इंदौर प्रेस क्लब परिसर, इंदौर (म.प्र.) ४५२००१

दूरभाष: (कार्या) ०७६३३-२५३१५९ मो ९४२४७६५२५९

अणुडाक -antrashabdshakti@gmail.com

अंतरताना- www.antrashabdshakti.com

प्रथम संस्करण २०१८ © जयति जैन "नूतन"

मूल्य : ५५.००रुपये

आवरण चित्र : संदीप सोनी, वारासिवनी

मुद्रक- शैलू कम्प्यूटर्स, वारासिवनी

'Rastrabhasha Aur Samaj ' by 'Jayti Jain 'Nutan"

अनुक्रम

हिंदी से हिन्दुस्तान है

“हिंदी हमारे राष्ट्र का गौरव और हमारी शान है
सारी दुनिया में यही सबसे बड़ी पहचान है !

लाख भाषाएँ सही पर हिंदी सबसे है अलग
तिलक हमारे राष्ट्र का यही तो बस अभिमान है !

रुकावट आ चुकी है आज हिंदी के सम्मान में,
दीप प्रजवल्लित करना है अपनी भाषा के मान में!

समझ तुमको आना चाहिए गलत राह चलने वालों,
गुलाम घोड़े बने दौड़ रहे अंग्रेज़ी के मिथ्याभिमान में!

राष्ट्र के उत्थान की अब लहर हृदय में बहनी चाहिए
फतह ध्वजा फहराने का सम्मान दृण होना चाहिए !

भूल बैठे संस्कृति को खुद पतन का कारण बने
हिंदी से हिन्दुस्तान है अब आवाज़ उठनी चाहिए !!“

पहली बात

राष्ट्रभाषा और समाज पर नूतन विचार पढ़ने और आगे बढने से पहले आप यह जानें कि राज्यभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा क्या हैं ? हममें से अभी 80 प्रतिशत लोग यह नहीं बता पायेंगें क्योंकिं हिंदी से नाता टूट सा गया है।

हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है ? जबाब आएगा हिंदी जबकि लोगों को यह जानकारी ही नहीं कि हम आज भी भ्रम में हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, जबकि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग भाषा संस्कृति है जिसे संविधान में राजभाषा की श्रेणी में रखा गया है जिसके कारण लोग अपने को महाराष्ट्रियन, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़ आदि मानते हैं, जिसका फायदा पहले मुगलों ने फिर अंग्रेज़ों ने उठाया और अब हमारे देश के वशिष्ट लोग उठा रहे हैं तभी भारत आज ऐसा देश है जिसकी अपनी कोई मातृभाषा ही नहीं है! लेकिन क्यों? शायद नहीं पता।

हमारे समाज के पढे लिखे लोगों को अभी यह नहीं पता कि हिंदी हमारी राजभाषा, राज्यभाषा, संपर्क भाषा है, जबकि पूरे भारत की मातृभाषा हिंदी नहीं है। हिंदी के प्रचार प्रसार में जितनी भी संस्थाएं, संघ जुटे हुए हैं उनका उद्देश्य हिंदी को भारत में उसका अस्तित्व वापिस लौटाकर उसे सम्मानित करना है।

अगर हिंदी को समाज में वापिस नहीं लाया गया तो वह दिन दूर नहीं कि आने वाली पीढ़ी अंग्रेज़ी को अपनी भाषा समझेगी।

सरल शब्दों में अर्थ समझें -

राज्यभाषा का अर्थ-सरकारी गतिविधियों और कामकाज में उपयोग की जाने वाली भाषा।

राज्यों की विधानसभाएं बहुमत के आधार पर किसी एक भाषा को या एक से अधिक भाषाओं को अपने राज्य की राज्यभाषा घोषित कर सकती हैं। संविधान में हिंदी को राज्यभाषा माना गया है। क्या आज सारे सरकारी कामकाज हिंदी में ही होते हैं, शायद नहीं। एक बार खुद से पूछिए अगर ऐसा होता तो सरकारी बैंकों से लेकर सरकारी स्कूल कॉलेज में हिंदी में ही हस्ताक्षर होते, हिंदी सर्वप्रथम होती और अंग्रेज़ी बिल्कुल भी नहीं।

राजभाषा का अर्थ :- संविधान में कुल २२ भारतीय भाषाओं स्थान प्राप्त हुआ है राजभाषा का। इसकारण भारत की मुख्य भाषाएँ बाईस मानी जाती हैं लेकिन नाम हिंदी का ही सर्वप्रथम आता है क्योंकि इसको बोलने वालों की संख्या ज्यादा है।

राष्ट्रभाषा का अर्थ :- भारत राष्ट्र में सर्वाधिक उपयोग होने वाली भाषा। जो भाषा सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे। बतौर राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी का उपयोग होता है क्योंकि यह एक संपर्क भाषा भी है। आज भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले

अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग कर, हिन्दीभाषी भारतीयों को बेज़्ज़त करने से नहीं चूकते।

मातृभाषा का अर्थ :- हम जिस समाज, जिस प्रांत में रहते हैं वहां के लोगों दुआरा बोली जाने वाली भाषा। हिंदी का प्रयोग पूरे भारत में नहीं होता इसके कारणों में यह भी एक कारण है कि भारत के विभिन्न प्रांतों में करीब 1652 मातृभाषाएँ प्रचिलित हैं। जिनमें से २२ भाषाओं को संविधान में जगह मिली क्योंकि यहां पर कुछ भाषाएं ऐसी बोली जाती है जिनमें बहुत ही कम अंतर है और इसके कारण उन्हें एक भाषा माना जाए या दो यह कहना मुश्किल है । दुनिया जानती है कि भारत एकलौता ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता प्रदर्शन होता है। हमारे यहाँ हर राज्य में अलग-अलग बोलियाँ बोली जाती हैं, रहन-सहन अलग है और संस्कृति भी हर ३०-५० किलोमीटर में ही अलग अलग दिखाई देती हैं।

"अलग अलग बोली,अलग अलग रंगत है।
संस्कृति अलग है, अलग अलग स्थान है।
कितनी भी विभिन्नताएं क्यों ना हो हममें?
हर प्रांत के लोगों का आपस में मान सम्मान है।"

व्यक्ति को क्रियारूप के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है , इसके लिए विचारों की आवश्यकता होती है और विचारों के लिए शब्दों की इसी को हम भाषा कहते हैं ! प्रत्येक

समाज की एक भाषा होती है, हम किसी भी प्रांत के समाज से आएं लेकिन जब हम अपनी संस्कृति से अलग होते हैं तब नए समाज और नए लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए हम नयी भाषा शैली और संस्कृति को सीखने के लिए लालायित होते हैं ! तब हम ना तो अपनी मातृभाषा को पूरी तरह ग्रहण कर पाते हैं ना ही किसी अन्य भाषा को जिससे समाज में भिन्नता तो रहती है मगर लोगों के विचारों का सही आदान प्रदान नहीं होता और समाज सुदृण नहीं बन पाता !

"ज़ीरो भारत ने ही दिया था

तब अंगेज़ी को नहीं पढ़ा था।

देशी भाषाये पहचान थी अपनी,

संस्कृत ने शब्दों को गड़ा था।

विदेशियों के उर ईर्ष्या भाव उमड़ा था

पहले अरबी फिर अंग्रेज़ी से जकड़ा था।

मूक बने निहारते रहे एकता के अभाव में

भूल बैठे सब पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में।“

राष्ट्रभाषा के लुटेरे

राष्ट्रभाषा के लुटेरे बाहरी नहीं बल्कि हम भारतवासी ही हैं खासतौर पर अहिन्दीभाषी , जो कभी नहीं चाहते कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने ! हिंदी को लेकर दक्षिण भारत, विशेषतः तमिलभाषी, में आंरभ से ही विरोध रहा। वहां के राजनेताओं का यह दृढ़ मत था कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है। उनका दावा था कि हिंदी के राजभाषा के तौर पर स्थापित किये जाने पर शासन-प्रशासन में हिंदीभाषियों का वर्चस्व बढ़ जायेगा और तब अहिंदीभाषी घाटे की स्थिति में आ जायेंगे जबकि वह खुद संपर्कभाषा के तौर पर अलग प्रान्त से आये लोगों से समन्वय स्थापित करते हैं!

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे समाज के अधिकतर लोग महात्मा गांधी से नफरत करते हैं वजह देश का बंटवारा और भगतसिंह और उनके साथियों की मौत के जिम्मेदार होने के कारण, लेकिन इस बात से उनके दिल को तसल्ली मिलेगी कि महात्मा गांधी हिन्दीप्रेमी थे। जितना उन्होंने दिया देश को, उतना उनके चमचों यानी उनकी दयादृष्टि में रहे लोगों ने लूटा है। आज हिंदी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, इसके उत्थान के लिए हमें कुछ बातें जानना जरूरी हैं कि भारतीय

इतिहास में वो कौन लोग थे जिन्होंने हिंदी को लूटा है। इतिहास पढ़ा जिसमें गांधी जी को हिंदीप्रेमी बताया गया। क्यूं ना बताते जब वो हिंदीभाषी थे, इतिहास के कुछ पन्ने एक दर्दनाक कहानी बयां करते हैं कि आजादी के बाद क्या हुआ इस देश में कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी ?

15 अगस्त 1947 को हम आजादी मिल गयी, जबकि आजाद होने के कुछ दिन पहले तक सबके प्रिय बापू कहा करते थे कि जिस दिन आजादी मिल गई, 6 महीने के अन्दर पूरे देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी हो जाएगी और सरकार के काम काज की भाषा हिन्दी हो जाएगी, संसद और विधनसभाओं की भाषा हिन्दी हो जाएगी और इतनी कड़ी बात कही थी कि जो संसद में बोलने वाला सांसद हिन्दी में बात नहीं करेगा, जो विधन सभाओं में बोलने वाला विधयक हिन्दी में बात नहीं करेगा, तो मैं सबसे पहला आदमी हूंगा जो उनके खिलाफ आन्दोलन करूंगा और अंग्रेजी बोलने वालों को जेल में भिजवाऊंगा। वह कहा करते थे कि आजादी के बाद भारत का कोई सांसद या विधायक अंग्रेजी में बात करे इससे बड़ा अपमान भारत का कोई दूसरा नहीं हो सकता और मैं बर्दास्त नहीं करूंगा कि भारत का कोई सांसद या विधयक अंग्रेजी में बात करे। एक बार तो इससे भी कड़ी बात कही कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए लेकिन एक चीज तो मुझे चाहिए और उसके लिए मैं मर जाऊंगा, अपनी

जान दे दूंगा, वो है मुझे राष्ट्रभाषा का सम्मान, राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा चाहिए। इसके लिए तो मैं अपना बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के बाद अगर सरकार ने अंग्रेजी को नहीं हटाया तो भारत सरकार की जगह जेल होगी, मैं भारत सरकार के खिलापफ सत्याग्रह करूंगा। इतने ज्यादा आग्रही थे वो मातृभाषा के प्रति।

गांधी जी ने मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति के आयोजित सम्मेलन में कहा था, 'जैसे अंग्रेज मादरी जबान यानी अंग्रेजी में ही बोलते हैं और सर्वथा उसे ही व्यवहार में लाते हैं, वैसे ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें. इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये। बापू ने अपने उद्बोधन में हिन्दी की गंगा-जमुनी संस्कृति पर भी प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा था, 'हिन्दी वह भाषा है, जिसे हिन्दू और मुसलमान दोनों बोलते हैं और जो नागरी अथवा फारसी लिपि में लिखी जाती है। यह हिन्दी संस्कृतमयी नहीं है, न ही वह एकदम फारसी अल्फाज से लदी हुई है।

अब सोचिये कि महात्मा गांधी हिन्दीभाषी भी थे और हिंदी के प्रति समर्पित थे तब भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिला सके । जब सत्ता उनके परम देशभक्तों के हाथ आयी तब उन्होंने बिल्कुल उलटे शब्दों में बोलना शुरू कर दिया कि

भारत में अंग्रेजी के बिना कोई काम नहीं चल सकता। भारत में विज्ञान और तकनीकी को आगे बढ़ाना है तो अंग्रेजी के बिना ये संभव नहीं हो सकता, भारत का विकास करना है तो अंग्रेजी के बिना ये संभव नहीं हो सकता, भारत को विश्व के मानचित्रा पर स्थापित कराना है तो अंग्रेजी के बिना ये नहीं हो सकता, यूरोप ओर अमेरिका जैसा बनाना है तो ये अंग्रेजी के बिना नहीं हो सकता। "यानि अंग्रेज चले गए और उनकी अंग्रेज़ी, उनके चमचों ने लोगों पर थोप दी, लोग यानी समाज और समाज यानी देश। महात्मा गांधी हिन्दीप्रेमी व राष्ट्रप्रेमी दोनों थे लेकिन आज़ादी के बाद उन्होनें हिंदी के लिए क्या किया, इसका उल्लेख करना मुश्किल है लेकिन उनके बाद अगर किसी का नाम आया तो वह हैं राम मनोहर लोहिया जी का, जिन्होनें अंग्रेजी भाषा का पुरजोर विरोध किया ! राम मनोहर लोहिया एक स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर समाजवादी और सम्मानित राजनीतिज्ञ थे। लोहिया जी ने हमेशा सत्य का अनुकरण किया और आजादी की लड़ाई में अद्भुत काम किया। उन्होनें १९६० में *अंग्रेजी हटाओ आंदोलन* शुरू किया! आजादी के बाद, लोहिया जी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में बनाने के लिए सुर्खियों में आए। उनका मानना था कि अंग्रेजी का उपयोग मूल सोच, अवरुद्ध भावनाओं के पूर्वज और शिक्षित और अशिक्षित जनता के बीच अंतर के लिए एक बाधा है। आओ, हम अपनी मूल महिमा को हिंदी में पुनर्स्थापित

करने के लिए एक हो जाए।" लोहिया जी जानते थे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंग्रेजी का प्रयोग आम जनता की प्रजातंत्र में शत प्रतिशत भागीदारी के रास्ते का रोड़ा है। उन्होंने इसे सामंती भाषा बताते हुए इसके प्रयोग के खतरों से बारंबार आगाह किया और बताया कि यह मजदूरों, किसानों और शारीरिक श्रम से जुड़े आम लोगों की भाषा नहीं है। उन्होंने लिखा:

"यदि सरकारी और सार्वजनिक काम ऐसी भाषा में चलाये जाएं, जिसे देश के करोड़ों आदमी न समझ सकें, तो यह केवल एक प्रकार का जादू-टोना होगा।"

दुख की बात है कि लोहिया जी के अंग्रेजी हटाओ आंदोलन (1957) को हिंदी का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश के तौर पर देखा गया, जबकि लोहिया ने बार-बार यह स्पष्ट किया कि अंग्रेजी हटाओ का अर्थ हिंदी लाओ कदापि नहीं है। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति और उनके प्रयोग की खुल कर वकालत की। उनके अनुसार अंग्रेजी हटाओ का अर्थ 'मातृभाषा लाओ' था। भारतीय राजनीति का बेबाक और बिंदास चेहरा रहे राममनोहर लोहिया जी ने ५० के दशक में ही भांप लिया था। उन्होंने लोकसभा में बल देकर अपनी बात रखते हुए कहा था: "अंग्रेजी को खत्म कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी का सार्वजनिक प्रयोग बंद हो, लोकभाषा के बिना लोक राज्य असंभव

है। कुछ भी हो अंग्रेजी हटनी ही चाहिये, उसकी जगह कौन सी भाषाएं आती हैं यह प्रश्न नहीं है। हिन्दी और किसी भाषा के साथ आपके मन में जो आए सो करें, लेकिन अंग्रेजी तो हटना ही चाहिये और वह भी जल्दी। अंग्रेज गये तो अंग्रेजी चली जानी चाहिये। "

१९५० में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब उसमें भी यह व्यवस्था दी गई थी कि 1965 तक सुविधा के हिसाब से अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन उसके बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। इससे पहले कि संवैधानिक समयसीमा पूरी होती, डॉ राममनोहर लोहिया ने 1957 में अंग्रेजी हटाओ मुहिम को सक्रिय आंदोलन में बदल दिया। वे पूरे भारत में इस आंदोलन का प्रचार करने लगे।

1961 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के दौरान लोहिया जी की सभा पर मद्रास में पत्थर बरसाये गए। 1962-63 में जनसंघ भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गया। लेकिन इस दौरान दक्षिण भारत के राज्यों (विशेषकर तमिलनाडु में) आंदोलन का विरोध होने लगा। तमिलनाडु में अन्नादुरई के नेतृत्व में डीएमके पार्टी ने हिंदी विरोधी आंदोलन को और तेज कर दिया। इसके बाद कुछ शहरों में आंदोलन का हिंसक रूप भी देखने को मिला। कई जगह दुकानों के ऊपर लिखे अंग्रेजी के साइनबोर्ड तोड़े जाने लगे। उधर 1965 की समयसीमा नजदीक होने की वजह से

तमिलनाडु में भी हिंदी विरोधी आंदोलन काफी आक्रामक हो गया। यहां दर्जनों छात्रों ने आत्मदाह कर ली। इस आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1963 में संसद में राजभाषा कानून पारित करवाया। इसमें प्रावधान किया गया कि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल राजकाज में किया जा सकता है।

तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी ने इस आन्दोलन के विरुद्ध 'हिन्दी हटओ' का आन्दोलन चलाया जो एक सीमा तक अलगाववादी आन्दोलन का रूप ले लिया। नेहरू ने सन १९६३ में संविधान संशोधन करके हिन्दी के साथ अंग्रेजी को भी अनिश्चित काल तक भारत की सह-राजभाषा का दर्जा दे दिया। सन १९६५ में अंग्रेजी पूरी तरह हटने वाली थी वह 'स्थायी' बना दी गयी। दुर्भाग्य से सन १९६७ में लोहिया जी का असमय देहान्त हो गया जिससे इस आन्दोलन को भारी धक्का लगा। यह यह आंदोलन सफल होता तो आज भाषाई त्रासदी का यह दौर न देखना पडता।

लोहिया जी के आदर्शों और विचारों पर चलकर फिर से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मुहीम तेज़ हो गयी है ! अहिन्दीभाषियों को यह समझना चाहिए कि वह जब संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी का उपयोग करते हैं तब उन्हें हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए !

मैं इस समय पुणे महाराष्ट्र में हूँ, जहाँ मराठियों की भरमार है लेकिन नौकरी के लिए अलग अलग प्रांतों से आये लोगों की संख्या बहुत है ! जब बाज़ार सामग्री लेने जाते हैं तब बातचीत के लिए हिंदी का ही इस्तेमाल होता है ! उत्तर और मध्य भारत से आये लोगों की मुख्य भाषा हिंदी और अंग्रेजी है जबकि मराठियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य भाषाएँ हैं मराठी और हिंदी ! हिंदी दोनों के बीच एक ऐसी भाषा है जो सामंजस्य स्थापित करती है इसलिए अतीत में देशभक्त के रूप में जो लुटेरे थे उन्हें भूलकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाइये क्युकिं यह बहुत ही शर्म की बात है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है ! हमारी जो मातृभाषा है वह मृत्यु पर्यन्त भी रहेगी !

गुलाम घोड़े

राष्ट्र संस्कृति पर खतरा उमड़ा है
अंग्रेज़ी भाषा शैली ने पकड़ा है ।
आदर्शो मूल्यों की तो बात ही नहीं,
विदेशी संस्कृति से जकड़ा है ।
कालिदास, तुलसी, मीरा और कबीर
क्या हैं पता नहीं, पर
शेक्सपियर बनने पर अड़ा है ।
हेमलेट और मैकबेथ पढ़ पढ़कर
दिमाग हो गया जाली मकड़ा है ।
राष्ट्र भाषा के सारे मूल्य ही बदल गए
पाश्चात्य शैली में कसकर जकड़ा है ।
हिंदी चाहकर भी नहीं बोल सकते
स्कूलों में अंग्रेज़ी ने कान मरोड़ा है ।
अंगेज़ी में वर्ण कमी है, शब्द बहुत ही कम
संस्कृत की एक धातु से शब्द बने सैकड़ा हैं ।
धर्म, यज्ञ, जनेऊ , और महावीर
क्या अंग्रेज़ी में परिभाषित हैं?
थोपी भाषा अपनाकर बने गुलामी घोड़ा हैं ।
भारत में जन्मे, भिन्न-भिन्न भाषी हम
अंग्रेज़ी अपनाकर अपनी भाषा से मुंह मोड़ा है ।
---- जयति जैन 'नूतन' ----

बात सन २००८ की है जब मेरा दाखिला बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में डी.फार्मा के विद्यार्थी के रूप में हुआ था। मेरी स्कूली शिक्षा हिंदी माध्यम से हुई, सारा कोर्स अंग्रेज़ी में था और जो शिक्षक थे वह भी अंग्रेज़ी में पढ़ाते थे, शुरुआत के ३-४ दिन सिर के ऊपर से निकल गया । सहसा एक दिन अध्यापक महोदय से कक्षा में खड़े होकर बोल ही दिया- सर बीच बीच मेँ हिंदी में भी समझा दीजिये, समझ नहीं आ रहा।

सर थोड़ी देर चुप रहे फिर हिंदी में बोले- इतने दिनों से तुम लोग बोले क्यों नहीं कि समझ नहीं आ रहा पूरा इंग्लिश में। अब वो लोग हाथ उठाओ जो अंग्रेज़ी से पढ़े हैं 12th। आप यकीन नहीं मानेगें कि सिर्फ २ लड़कियों ने हाथ उठाये कि उनकी स्कूली शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई है। तब सर ने कहा - मैंने इतने दिनों में जो भी पढ़ाया क्या हिंदी वाले बच्चे उसे समझा सकते हैं? हममे से एक भी विद्यार्थी नहीं खड़ा हुआ। सर भी समझ गए बोले जब समझ नहीं आ रहा था तो बोलना चाहिए ना। आगे से जो भी पढ़ाऊँगा, हिंदी में बता दूँगा लेकिन पढ़ना तुम लोगों को अंग्रेज़ी में है। पेपर अंग्रेज़ी में ही आएगा और अंग्रेज़ी पढ़ने समझने की कोशिश शुरू करो, अब तुम्हें हिंदी नहीं मिलेगी कहीं। फिर क्या था अंग्रेज़ी हिंदी का मिश्रण पढ़ाया गया और शुद्ध अंग्रेज़ी में परीक्षाएं हुई और मैं बहुत अच्छे नंबरों से प्रथम श्रेणी में पास हुई। सर का शुक्रिया अदा हम लोग आजतक

करते हैं कि बहुत अच्छे सर थे जिन्होंने हमारी परेशानी को समझा वरना पूरी कक्षा फेल हो जाती।

अंग्रेज़ी के गुलामी घोड़े बनकर दौड़ रहे थे कि कुछ महीनों कॉलेज के मुख्य गेट पर Department of Pharmacy के नीचे "भैषज़िक विज्ञान" लिखा मिला। कॉलेज के २-४ नहीं बल्कि सारे विद्यार्थी एक बार फिर सोच में कि ये क्यों लिखा? क्या फार्मेसी को ये बोलते हैं? अब सोचिये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के फार्मेसी विभाग के बच्चों को ये नहीं पता कि हिंदी में फार्मेसी को कहते क्या है?

उस दिन एहसास हुआ कि ना तो हम हिंदी के ज्ञानी हैं ना ही अंग्रेज़ी के विदुआन बल्कि बीच मझधार में फंसे ऐसे समाज के लोग हैं जिन्हें अल्पज्ञानी कहा जा सकता है। सिर्फ मैं ही नहीं हमारी समाज का प्रत्येक व्यक्ति अल्पज्ञानी है, क्योंकिं हिंदी पर राज करने की हिम्मत नहीं और अंग्रेज़ी की गुलामी कर रहे हैं। फिर भी जोश में मदहोश हैं घोड़े की तरह, बस दौड़ रहे हैं तेज़ी से।

एक तहे दिल से शुक्रिया अदा तो मुझे अपनी 11-12 वीं की शिक्षिका पूनम साहू मिस का करना चाहिए । बचपन से हिंदी मेरी अच्छी रही, अपनी मां की वजह से। लेकिन है और हैं में क्या फर्क है? मैं और में, रहे थे और रहे हैं में क्या फर्क है ?

यह सब सिखाया मेरी हिंदी की शिक्षिका पूनम साहू मिस

ने। जिनका पूरी कक्षा मज़ाक बनाती थी, जिनको कक्षा के वह बच्चे माता बोलते थे जो उसी नगर के थे जबकि आस पास के इलाकों से आने वाले हम बच्चे उन्हें सम्मान से देखते थे क्योंकिं एक नगर से दूसरे नगर स्कूल बस से जो जाते थे। मेरा हिंदी के प्रति लगाव देखकर उन्होंने मुझे शुद्ध हिंदी लिखनी सिखाई और मैं उनकी पसंदीदा विद्यार्थी हुआ करती थी, जो शैतानियों में अव्वल थी और कभी डांट नहीं खाती थी उनसे। मेरी कक्षा के हिंदी बच्चों को हिंदी पसन्द नहीं थी और अंग्रेज़ी ने सबका बेड़ा गर्ग करके रखा था। जितनी पूनम मिस परेशान थीं उतनी ही अंग्रेज़ी की शिक्षिकाएं सिस्टर लोरना और रूचिरा तिवारी मिस थीं।

यही हाल होता है जब ना घर के रहते हैं ना ही घाट के। हिंदी मीडियम वालों को कॉलेज में आते ही अंग्रेज़ी का गुलाम बनना पड़ता है जबकि अंग्रेज़ी माध्यम से स्कूली शिक्षा करने वाले शुरू से ही गुलाम बन चुके होते हैं। जिनके सामने हिंदी में गिनती के शब्द बोल दो तो उनकी समझ में नहीं आता कि क्या बोला गया है।

हिंदी का बलात्कार

पढ़कर अजीब लगा ना कि महिलाओं का, नाबालिग लड़कियों का बलात्कार होता है, फिर हिंदी का बलात्कार कैसे ? बलात्कार मतलब बलात्कार होता है, बलात्कार सिर्फ जिस्म पर खरोंचे नुकीले निशानों का होना नहीं होता बल्कि चाहे स्वाभिमान का खोना, उम्मीदों का मिटना और भरोसे का टूटना भी बलात्कार की श्रेणी में आता है । हम लोगों ने जिस तरह हिंदी का बलात्कार किया है, उसके परिणाम सामने हैं कि लोग चाहकर भी उसे अपना नहीं पा रहे। हिंदी हमारी अपनी भाषा है चिल्लाने वाले, खुद अपने बच्चों को हिंदी नहीं सिखा पा रहे क्यूं? बलात्कारी आदमी कभी अच्छी सीख दे सकता है क्या? क्या वह संस्कृति-सभ्यता को समझा सकता है ? क्या उसमें इतना विवेक है कि वह सही गलत समझ सके ?

यदि होता तो वह बलात्कारी की श्रेणी में नहीं आता। वह अच्छी सीख ही देता समाज को, समझाता लोगों को कि भई अपनी भाषा का सम्मान करो। एक बलात्कारी की तरह उसका बलात्कार मत करो उसे बेज़्ज़त मत करो । लेकिन समझाया क्या हमने किसी को? नहीं ना तो हम भी बलात्कारी ही हैं, जो रोज़ अंग्रेज़ी में गिटर-पिटर करके हिंदी को बेज़्ज़त करने में लगे हैं। उसकी आबरू लूटने वाले लुटेरे भी हमी हैं।

विदेशियों से अपनी भाषा की इज़्ज़त कैसे की जाती है? यह हमें सीखना होगा । सिर्फ "हिंदी हैं हम, वतन हैं, हिन्दोस्तां हमारा" गाने से कुछ नहीं होगा । विदेशों में संडास साफ करने वाला भी अंग्रेज़ी बोलता है और भारत में बोलने का स्तर अमीर गरीब बनाता है। बड़े आदमी अंग्रेज़ी बोलेंगे और गरीब हिंदी मीडियम के हिंदी। यानी हमें हिंदी बोलने में शर्म आती है। भाषा ने हमें विभाजित किया और दोष माँ भारती पर मड़कर हमने हिंदी को अन्य भाषाओँ में मिला दिया, कम शब्दों में बलात्कार। ना तो हम शुद्ध हिन्दीभाषी हैं ना ही शुद्ध उर्दूभाषी तो अंग्रेज़ीभाषी हो ही नहीं सकते। उस शोषण का ही नतीजा है ये कि आज हम मिलावटी भाषा बोल रहे हैं।

यहीं फर्क समझ आता है कि हमने समाज की दशा क्या कर दी है। हिंदी के बलात्कारी अमीरों की श्रेणी में आते हैं- यह कहना गलत नहीं होगा क्योंकिं विदेशों में सभी अपनी राष्ट्रभाषा-मातृभाषा ही बोलते हैं लेकिन हमारे यहां अमीर हिंदी में बात करलें तो उनका समाज के सामने बलात्कार हो जाये। उनके शरीर पर अमीरी की लिपी-पुती स्याही मिट जायेगी। उनका स्टेटस कम हो जाएगा, लोकप्रियता गिर जाएगी कि अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते। लोग ताने देकर कहेंगें कि बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े लिखे लोग हिंदी बोल रहे, हिंदी।

शर्म आनी चाहिए हमें ऐसी घटिया सोच रखने के लिए।

हम लोगों ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि तुम बड़े अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़े तो अंग्रेज़ी ही बोलकर दिखाओ। असल में हम भी एक तरह के बलात्कारी ही हैं जो हर समय हिंदी को बेज़्ज़त करने में लगे हैं।

आबरू लूटने वाले को बलात्कारी कहते हो,
अत्याचार करने वाले को अत्याचारी कहते हो ।
खुद को किस श्रेणी में रखना उचित समझोगे,
जब हिंदी को अपमानित रोज़ ही करते हो ।

एक औरत की बिना मर्ज़ी के उसके साथ संबंध स्थापित करने को यदि बलात्कार कहते हैं, तो क्या हमारी मां भारती से तुमने इज़ाज़त मांगी थी उसकी संस्कृति सभ्यता का बलात्कार करने से पहले?

तुमने संस्कृत को छोड़ा फिर अपनी मातृभाषा को छोड़ा फिर हिंदी को छोड़ा... और अंग्रेज़ी को अपनाया। अब तुम्हारा मन अंग्रेज़ी से भी भरने लगा कि अब तुम्हें जापानी, चीनी, फ्रेंच आदि भाषाएँ सीखनी हैं। अब तुम्हें अंग्रेज़ी बोलने में शर्म आने लगी कि ये तो आजकल सभी बोलने लग गये, चलो अब नयी भाषाएँ सीखते हैं तो समाज में रुतवा और बढ़ जाएगा कि इन्हें इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान है।

लेकिन अभी तुमसे तुम्हारी ही मातृभाषा में उनहत्तर या उन्यासी को अंक में लिखने की बोल दिया जाए तो लिख नहीं

सकते, सोच में डूब जाओगे कि ये होते क्या हैं? क्यों? क्योंकि तुमको आती ही नहीं हिंदी की गिनती। तुमने यह नहीं सोचा कि चलो अंग्रेज़ी सभी बोलने लगे तो हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके उसे राष्ट्रभाषा में बदलें। लेकिन नहीं तुम तो लोटे हो, बिन पेन्दी के लोटे तो लुढक़ लिए।

सामाजिक मानसिकता यही है देशी को अपनाओगे तो इज़्ज़त नहीं मिलेगी , विदेशी भाषा में टूटा फूटा बोलोगे तो इज़्ज़त बढ़ेगी। कभी शुद्ध हिंदी ना सही लेकिन खड़ी बोली ही बोलकर देखो, कितना अपनापन लगेगा । संस्कृत का अब नाम और निशान ही मिटने लगा है, बस कुछ शिशु मंदिरों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है! आज की पीढ़ी यह नहीं जानती कि सारी भाषा संस्कृति संस्कृत की ही देन है

संस्कृत से जन्मा शास्त्रीय ज्ञान था
अमर अतुल ओजश्वी वरदान था ।
ज्ञानचक्षु खोल विवेक धारण किया
फतह ध्वजा फहराने का सम्मान था ।।

अगर किसी देश की संस्कृति सभ्यता को नष्ट करके उस पर राज करना है तो सबसे पहले उसकी भाषा को नष्ट करो औऱ यही काम विदेशियों ने बहुत सटीक तरीके से किया । क्या आप जानते हैं कि मात्र 3,000 वर्ष पूर्व तक भारत में संस्कृत बोली जाती थी तभी तो ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिणी ने दुनिया का

पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जो संस्कृत का था। इसका नाम 'अष्टाध्यायी' है।

1100 ईसवीं तक संस्कृत समस्त भारत की राजभाषा के रूप सें जोड़ने की प्रमुख कड़ी थी। अरबों और अंग्रेजों ने सबसे पहले ही इसी भाषा को खत्म किया और भारत पर अरबी और रोमन लिपि और भाषा को लादा गया। भारत की कई भाषाओं की लिपि देवनागरी थी लेकिन उसे बदलकर अरबी कर दिया गया ,तो कुछ को नष्ट ही कर दिया गया। वर्तमान में हिन्दी की लिपि को रोमन में बदलने का छद्म कार्य शुरू हो चला है।

संस्कृत के बारे में हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि

१- संस्कृत विश्व की प्राचीन ज्ञात भाषाओं में से है ।

२- भारत में बोली जानें वाली भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है ।

३- संस्कृत भारत की शास्त्रीय भाषा, ग्रंथभाषा, आर्यभाषा है और आज इसका अस्तित्व मिटने लगा है ।

४- अंग्रेजों ने तो साजिश करके, षडयंत्र करके भारत में चलने वाले 7 लाख 32 हजार गुरूकुलों को जो मूल रूप में संस्कृत में पढ़ाया करते थे, जड़ से खत्म कर दिया था, बंद कर दिया था और यहीं से संस्कृत का अस्तित्व विलीन होना शुरू हुआ ।

यह भी जानें

आज़ादी के पहले से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाये जाने की लगातार कोशिशें जारी रहीं , आज़ादी के बाद बीच में छोटी छोटी संस्थाए हिंदी के लिए लड़ती नजर आयीं लेकिन अब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मुहीम ने तेज़ी पकड़ ली है ! समाज में हिंदी को बतौर राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कई महान व्यक्तित्व आये जैसे - लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय, पं॰ मदन मोहन मालवीय, महात्मा गाँधी, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन, काका कालेलकर, सेठ गोविन्ददास आदि !

हिन्दी के विकास में और राष्ट्रभाषा बनाने हेतु भी अहिन्दी भाषायी जनों ने अपने योगदान को सुनिष्चित किया है, जिसमें राजाराम मोहन राय, आत्मारंग पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, कर्नल एस.एस. आलकाट, स्वामी विवेकानंद एवं महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति प्रमुख है। स्वाधीनता के संघर्ष, राष्ट्रभाषा आंदोलन (हिन्दी आंदोलन) में भी हिन्दी को सर्वमान्य भाषा बनाने में भी विभिन्न राज्यों, संस्थाओं, व्यक्तियों ने अपनी भूमिका को स्पष्ट किया है। आजादी की लड़ाई का आंदोलन जैसे-जैसे तीव्र होता गया, वैसे-वैसे हिन्दी को भी राष्ट्रभाषा बनानें का अभियान भी तेज हुआ था। तत्कालीन कांग्रेस और संघ के नेताओं ने भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनानें में विभिन्न अधिवेशनों में चर्चा कर

प्रस्ताव भी पारित कराये।

हिंदी-प्रसार आंदोलन में धर्मगुरुओं, महात्माओं, राजनेताओं और हिंदी-प्रेमियों के साथ अनेक संस्थाओं की भी सराहनीय भूमिका रही हैं भारत धर्मप्रधान देश है। इसलिए हिंदी-प्रसार आन्दोलन में साहित्यिक संस्थाओं के साथ धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं का विशेष योगदान रहा है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार, लगभग 25.79 करोड़ भारतीय हिंदी का उपयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं, जबकि लगभग 42.20 करोड़ लोग इसकी 50 से अधिक बोलियों में से एक इस्तेमाल करते हैं। सन 1998 के पूर्व, मातृभाषियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के जो आँकड़े मिलते थे, उनमें हिन्दी को तीसरा स्थान दिया जाता था।

आइये जानते हैं इतिहास में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए स्वतंत्रता से पूर्व व बाद में किसने और क्या कार्य किया -

स्वतंत्रता पूर्व

1833-86 : गुजराती के महान कवि श्री नर्मद (1833-86) ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार रखा।

1872 : आर्य समाज के संस्थापक महार्षि दयानंद सरस्वती जी कलकत्ता में केशवचन्द्र सेन से मिले तो उन्होने स्वामी जी को

यह सलाह दे डाली कि आप संस्कृत छोड़कर हिन्दी बोलना आरम्भ कर दें तो भारत का असीम कल्याण हो। तभी से स्वामी जी के व्याख्यानों की भाषा हिन्दी हो गयी और शायद इसी कारण स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की भाषा भी हिन्दी ही रखी।

1873: महेन्द्र भट्टाचार्य द्वारा हिन्दी में पदार्थ विज्ञान (material science) की रचना

1877 : श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भाग्यवती नामक हिन्दी उपन्यास की रचना की।

1893 : काशी नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना

1918 : मराठी भाषी लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से घोषित किया कि हिन्दी भारत की राजभाषा होगी।

1918 : महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना

1930 का दशक : हिन्दी टाइपराइटर का विकास (शैलेन्द्र मेहता)

1935 : मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री रूप में सी० राजगोपालाचारी ने हिन्दी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया।

स्वतंत्रता के बाद

14.9.1949- संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस दिन को अब हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

1952- शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिन्दी भाषा का प्रशिक्षण ऐच्छिक तौर पर प्रारम्भ किया गया।

जुलाई, 1955- हिन्दी शिक्षण योजना की स्थापना। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध व अधीनस्थ कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण।

अक्तूबर,1955- गृह मंत्रालय के अन्तर्गत हिन्दी शिक्षण योजना प्रारम्भ की गई।

3.12.1955- संविधान के अनुच्छेद 343 (2) के परन्तुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ के कुछ कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का प्रयोग किए जाने के आदेश जारी किए गए।

सितम्बर, 1959- संसदीय समिति की रिपोर्ट पर संसद में बहस। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा आश्वावासन दिया गया कि अंग्रेजी को सह-भाषा के रूप में प्रयोग में लाए जाने हेतु कोई व्यावधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा और न ही इसके लिए

कोई समय-सीमा ही निर्धारित की जाएगी। भारत की सभी भाषाएं समान रूप से आदरणीय हैं और ये हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं।

1960- हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि का अनिवार्य प्रशिक्षण आरम्भ किया गया।

-कंप्यूटर की मदद से अहिन्दीभाषियों के लिए हिंदी में अनुवाद के सॉफ्टवेयर विकसित किये गए !

अप्रैल, २०१७- राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने 'संसदीय राजभाषा समिति' की इस सिफारिश को 'स्वीकार' कर लिया कि राष्ट्रपति और ऐसे सभी मंत्रियों और अधिकारियों को हिंदी में ही भाषण देना चाहिए और बयान जारी करने चाहिए, जो हिंदी पढ़ और बोल सकते हों। इस समिति ने हिंदी को और लोकप्रिय बनाने के तरीकों पर 6 साल पहले 117 सिफारिशें दी थीं।

जयति जैन "नूतन"

(युवा लेखिका व सामाजिक चिंतक)

व्यक्तित्व दर्पण



नाम - जयति जैन 'नूतन'

जन्म - 01.01.1992 (रानीपुर, जिला झांसी , उ.प्र.)

पति - इं. मोहित जैन

शिक्षा - डी फार्मा, बी.फार्मा, एम. फार्मा/ फार्मासिस्ट, लेखिका

निवास - जयति जैन 'नूतन', 441, सेक्टर-3
पंचवटी मार्केट के पास, शक्तिनगर भोपाल - 462024

ई मेल - Jayti.jainhindiarticles@gmail.com

विधा - गद्य लेखन, लेख, कहानी, कविता, दोहे, मुक्तक, लघुकथा आदि

कार्यक्षेत्र - रजि. फार्मासिस्ट, हिन्दी सागर पत्रिका में अतिथि संपादक के रुप में कार्यरत् ।

प्रकाशन - 180 लेख, 350 से ज्यादा रचनाएं क्षेत्रिय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुकी हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाओं एवं ई पत्रिकाओं में प्रकाशन उपलब्ध। गुगल पर जयति की कहानी लगभग 12 लाख से ज्यादा लोगों ने पढ़ी हैं।

एकल संग्रह - वक्त वक्त की बात (लघुकथा),सांझा काव्य संग्रह मधुकलश, अनुबंध, प्यारी बेटियाँ, किताब मंच, भारत के युवा कवि और कवियित्रियाँ, किताब मंच, काव्य स्पंदन पितृ विशेषांक, समकालीन हिन्दी कविता एवं अंतरा शब्द शक्ति आदि में प्रकाशित ।

- जनक्रांति अंतर्राष्ट्रीय मासिक पत्रिका, राष्ट्रीय दैनिक, साप्ताहिक अखबार, पत्रिकाऐं, चहकते पंछी ब्लाग, साहित्यपीडिया, शब्दनगरी, www.momspresso.com व प्रतिलिपि वेबसाईट,International news and views.com (INVC) पर

सम्मान - श्रेष्ठ नवोदित रचनाकार सम्मान, अंतरा शब्द शक्ति सम्मान, श्रेष्ठ युवा रचनाकार सम्मान हिन्दी सागर सम्मान, कागज़ दिल साहित्य सेवी संस्था की ओर से पटल पर संदेशात्मक लेख हेतु कागज़ दिल साहित्य सुमन सम्मान व शगुन राशि भेंट, वुमन आवाज अवार्ड 2018

अन्तरा शब्दशक्ति
www.antrashabdshakti.com

१५, नेहरु चौक, मेन रोड वारासिवनी,
जि. बालाघाट (म.प्र.) पिन ४८१३३१,
संपर्क- ९४२४७६५२५९.
अणुडाक: antrashabdshakti@gmail.com

मूल्य 55/-